इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2013—आषाढ़ 19, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. 15560-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 10 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण विधेयक, २०१३

डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) सेवा प्रदाताओं से कतिपय अवधि के दौरान उद्ग्रहीत किए गए और संग्रहीत किए गए मनोरंजन शुल्क का विधिमान्यकरण करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण विधेयक, २०१३ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

''(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, १९३६ (क्रमांक ३० सन् १९३६);

(ख) ''डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) प्रसारण सेवा'' से अभिप्रेत है बिना किसी माध्यम जैसे केवल आपरेटर से गुजारे हुए, उपग्रह प्रणाली का उपयोग करते हुए दूरदर्शन के मल्टी चैनल कार्यक्रमों को उपभोक्ताओं के परिसरों तक दूरदर्शन के सिग्नलों को सीधे के यू बैंड में उपलब्ध करवा कर वितरण करने की प्रणाली;

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिये ''के यू बैंड'' से साधारणतया अभिप्रेत है ११.७-१२.७ जी. एच. जेड (गीगाहर्ट्ज) फ्रीक्वेंसी बैंड जो दो खण्डों में विभक्त होते हैं, अर्थात् पहला जिसमें ११.७-१२.२ जी. एच. जेड फ्रीक्वेंसी हो और जो एफ. एस. एस. (फिक्स्ड सैटेलाईट सर्विस) के रूप में ज्ञात हो और दूसरा जिसमें १२.२-१२.७ जी. एच. जेड. फ्रीक्वेंसी हो और जो बी. एस. एस. (ब्राडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विस) के रूप में ज्ञात हो और इसमें ऐसे अन्य बैंड विड्थ भी हो सकते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए जाएं;

(ग) ''मनोरंजन'' में सम्मिलित हैं—

(एक) किसी डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) प्रसारण सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी प्रकार के एंटीना/सेट टॉप बाक्स अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण की सहायता से जो कनेक्शन होल्डर के आवासीय या गैर आवासीय निवास स्थान के किसी टेलिविजन सेट को सीधे तौर पर उपग्रह से जोड़ता हो, किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराए गए किसी टेलीविजन प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन;

(दो) किसी अन्य तकनीकी साधन अथवा यन्त्र से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

(घ) ''मनोरंजन शुल्क'' से अभिप्रेत है डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) प्रसारण सेवा के किसी ऐसे प्रदाता से, जो किसी आवासीय या गैर आवासीय निवास स्थान के किसी टेलीविजन सेट को सीधे उपग्रह से जोड़ता हो, किसी कनेक्शन होल्डर द्वारा संस्थापन के लिये उसे किए गए प्रत्येक भुगतान के या किसी रीति में चाहे वह कुछ भी हो, संग्रहीत संयोजन प्रभार या किन्हीं अन्य प्रभारों के २० प्रतिशत की दर से उद्ग्रहीत और संदत्त शुल्क;

(ङ) मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण के सम्बन्ध में, ''मनोरंजन के लिये भुगतान'' में सम्मिलित है किसी व्यक्ति द्वारा किसी डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) प्रसारण सेवा के संचालक को अभिदाय, अभिदान के रूप में संस्थापन के लिये अथवा संयोजन प्रभारों अथवा किन्हीं अन्य प्रभारों के लिये किसी रीति में चाहे वह कुछ भी हो, संग्रहीत संयोजन प्रभार या किन्हीं अन्य प्रभारों के रूप में किया गया भुगतान;

मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण का विधिमान्यकरण.

३. (१) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम की धारा ३ के अनुसरण में वसूल किया गया या अधिरोपित या वसूल किए जाने के लिये तात्पर्यित कोई मनोरंजन शुल्क, समस्त प्रयोजनों के लिये उस सारवान् समय पर सदैव ही विधिमान्यत: अधिरोपित और वसूल किया गया समझा जाएगा.

(२) ऐसे मनोरंजन शुल्क के अधिरोपण या वसूली के सम्बन्ध में किए गए समस्त कृत्य/कार्यवाहियां अथवा बातें, समस्त प्रयोजनों के लिये सदैव ही विधि के अनुसार विधिमान्यत: की गई समझी जाएंगी.

(३) इस प्रकार संदत्त या वसूल किए गए किसी मनोरंजन शुल्क की वापसी के लिये राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी के विरुद्ध चाहे वह कोई भी हो, किसी भी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं चलाई जाएंगी अथवा जारी नहीं रखी जाएंगी.

(४) कोई भी न्यायालय इस प्रकार संदत्त अथवा वसूल किए गए मनोरंजन शुल्क की वापसी का निर्देश देने वाली किसी डिक्री या आदेश को लागू नहीं करेगा.

अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव होगा.

४. इस अधिनियम के उपबंध दिनांक ५-५-२००८ से दिनांक ३१-०३-२०११ तक की कालावधि को लागू होंगे और सदैव ही उन्हें लागू समझे जाएंगे.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सिविल अपील ३८८२ सन् २०१३ मेसर्स टाटा स्काई लिमिटेड विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य व अन्य में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक १६ अप्रैल, २०१३ में यह धारित किया है कि डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) का संचालन मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, १९३६ (क्रमांक ३० सन् १९३६) के अन्तर्गत नहीं आता है और उसके परिणामस्वरुप मनोरंजन शुल्क की इस प्रकार संग्रहीत और जमा की गई राशि को अवैध ठहराया गया. उच्चतम न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार को कठिनाईयां उत्पन्न करेगा तथा मुकद्मेबाजी में वृद्धि करेगा क्योंकि डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) सेवा प्रदाता धन वापसी के लिये दावा करेंगे. इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने एक विधिमान्यकरण विधि अधिनियमित करने का विश्चिय किया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

जयंत कुमार मलैया
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : ६ जुलाई, २०१३.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क (विधिमान्यकरण) विधेयक, २०१३ के खण्ड २ के द्वारा मनोरंजन शुल्क के भुगतान संबंधी रीति सुनिश्चित किए जाने तथा मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण संयोजन के प्रभार नियत किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं.

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.